2019/00148

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

किशोर शर्मा *बनाम* *ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0*

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमिं हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

प्रकरण संख्या 76 वर्ष **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-06-2019	पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र ताउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर किया जावें । प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2017 के विरूद्व पेश कर सम्बन्धित वित्तीय संस्था द्वारा की जाने वाली निलामी कार्यवाही को रूकवाने बाबत प्रार्थना की है । चूंकि सम्बन्धित वित्तीय संस्था ए.यू. फाईनेन्स बैंक लि0 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अन्तर्गत The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत आदेश जारी किया गया है । प्रार्थी, बैंक कार्यवाही से राहत प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । इस न्यायालय द्वारा स्वयं के आदेश को परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें । जिला कलेक्टर कोटा	

Scanned by CamScanner